क्रमांक 12155-3 जी०एस०-II-75/34723

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी (सिविल)।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़, तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा में।

दिनांक, चण्डीगढ़ 2 दिसम्बर, 1975।

विषय :— सेवा अवधि के दौरान अन्धे या नाकारा (Major disability से ग्रस्त) सरकारी कर्मचारियों को अनुग्रह पूर्वक अनुदान व अन्य सुविधाएं प्रदान करना।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 9054-4 जी० एस०-II-70/32230, दिनांक 22 दिसम्बर, 1970 तथा इस विषय पर समय-समय पर जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ समय से सेवा अवधि के दौरान अन्धे या नाकारा (Major disability से ग्रस्त) कर्मचारियों को भी अनुग्रह पूर्वक अनुदान तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का मामला सरकार के विचाराधीन रहा है। सरकार ने इस श्रेणी के कर्मचारिय को भी निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है :—

अनुग्रह पूर्वक अनुदान

1. अनुग्रह पूर्वक अनुदान अन्धे या नाकारा सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए अन्तिम मासिक वेतन के आठ गुण के बराबर होगा परन्तु यह अनुग्रह पूर्वक अनुदान की राशि कम से कम 4,000/- रु० और अधिक से अधिक 12,000/- रु० तक होगी।

2. अनुग्रह पूर्वक अनुदान के अतिरिक्त अन्य सभी सुविधाएं जो मृतक कर्मचारियों के परिवारों को उपलब्ध हैं, category के कर्मचारियों को भी उपलब्ध होंगी।

ये सुविधाएं 1-4-1974 या इस तिथि के बाद अन्धे या नाकारा होने के कारण सेवा से निवृत किये जाने वाले सरकार कर्मचारियों को प्रदान की जाएंगी।

2. आपसे प्रार्थना है कि इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा यदि कोई इस प्रकार का केस हो त उससे सम्बन्धित सूचना संलग्न फार्मो में भरकर सरकार को भेजी जाए।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, न्यायाचा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति अनुलग्नक सहित वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूच तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

अनुग्रह पूर्वक अनुदान के लिये आवेदन पत्र का फार्म

भाग क

के कार्यालय/विभाग में के रूप

में नियुक्त श्री/श्रीमति की ओर से आवेदन पत्र।

(1) आवेदक का नाम तथा पूरा पता

सरकारी कर्मचारी को इनवैलिड होने की तिथि

(3) कर्मचारी के जीवित सम्बन्धियों के नाम तथा आयु। नाम आयु

(क) पत्नि/पति

(ख) पुत्र

(ग) अविवाहित पुत्रियां

(घ) विधवा पुत्रियां

(ङ) कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित माता पिता

(च) विधवा/अविवाहित बहिन

(4) परिवार की सामान्य वित्तीय स्थिति (यह शपथ पत्र प्रोफार्मा ए/ 1क/1) में दर्शाया जाना है।

(5) आय का साधन

(6) सरकारी नौकरी के लिए विचार किए जाने के इच्छुक परिवार के सभी सदस्यों की श्रेणिक योग्यता एवं अन्य ब्योरा

(7) यदि इनवैलिड सरकारी कर्मचारी की पत्नि/पति या उसके परिवार का कोई सदस्य कमा रहा है तो प्रत्येक केस में प्राप्त होने वाला मासिक वेतन तथा नियुक्ति का ब्योरा दिया जाए।

(8) कोई अन्य सम्बन्ध सूचना

स्थान (आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक पूरा पता—

(प्रोफार्मा ए/1 य (क)/1)

शपथ पत्र

श्री/श्रीमति निवासी पुत्र/पुत्री तहसील

जिला

इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से निश्चय पूर्वक कहता/कहती हूं तथा घोषणा करता/करती हूं:—

कि मेरे नाकारा होने के समय मेरे तथा मेरे परिवार के सभी सदस्यों के पास निम्नलिखित सम्पत्ति थी :

(1) बैंक/डाकघर में राशि

(2) बीमा पालिसी की राशि

(3) नकदी आभूषण

(4) चल/अचल सम्पत्ति का विवरण तथा अन्य विषय।

II निम्नलिखित परिवार के सदस्य काम पर लगे हैं:—

1 ——————————————————

2 ——————————————————

3 ——————————————————

III परिवार के पास निम्नलिखित आय के अन्य साधन हैं:—

1 ——————————————————

2 ——————————————————

3 ——————————————————

अभिलाषी

पूरा पता—

सत्यापन

मैं इसके द्वारा यह निश्चय पूर्वक कहता/कहती हूं तथा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे शपथ पत्र के उक्त विवरण मेरी जानकारी तथा घोषणा के अनुसार ठीक एवं सत्य हैं और कोई भी बात गुप्त नहीं रखी है।

अभिलाषी

नोट :— यह शपथ पत्र 10 पैसे के मूल्य के नान-जुडिशियल कागज पर प्रस्तुत किया जाना है।

भाग ख

(कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष द्वारा पूरा किए जाने के लिए)

(1) कर्मचारी का नाम

(2) परिस्थितयां जिनके कारण कर्मचारी अन्धा या नाकारा हुआ

(3) सेवा अवधि

(4) जन्म तिथि

(5) अन्धा/नाकारा होने (मेजर डिस एबिलिटी) के समय प्राप्त की गई कुल मासिक आय

(6) परिवार की आर्थिक दशा, विशिष्ट विवरणी सहित

(7) सेवा का रिकार्ड विशिष्ट विवरणी सहित, यदि कोई हो

(8) अन्धा/नाकारा कर्मचारी की सम्पत्ति (सम्पत्ति घोषणा पत्र की प्रति संलग्न की जाए)।

(9) सेवा निवृति तथा अन्धा/नकारा होने के बीच की अवधि

(10) (क) सुविधाएं जो पैन्शन।ग्रेच्यूटी द्वारा अन्धा।नकारा कर्मचारी को प्राप्त होती यदि वहसामान्य ढंग से सेवा निवृत होता

(ख) सुविधाएं जो अब अन्धा/नकारा कर्मचारी पैन्शन/ग्रेच्यूटी के तौर पर प्राप्त करेगा

(11) अन्धा/इनवैलिड होने के समय सामान्य भविष्य निधि। (जी0पी0एफ0) में जमा राशि

(12) अन्धा/नाकारा कर्मचारी के पुत्र कहां कहां बसे हुए है और उनकी मासिक आय क्या है ?

(13) भाग 'क' के खाना 7 के सम्बन्ध में सिफारिशें, यदि हों

(14) सिफारिश की गई अनुग्रह पूर्वक अनुदान की राशि

(15) क्या कर्मचारी नियमित था तथा एडहाक नहीं था——

टिप्पणी :——अनुग्रह पूर्वक अनुदान की राशि सामान्यतः अन्धा/नाकारा सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई मासिक आय के आठ गुणा राशि के बराबर होगी तथा न्यूनतम 4,000 रुपये तथा अधिकतम 12,000 रुपये होगी।

स्थान

दिनांक

कार्यालय/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

भाग 'ग' (फार्म सी)

(प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष के प्रयोग)

1. विभाग अध्यक्ष की सिफारिश

2. प्रशासकीय विभाग की सिफारिश।

भाग-भी (फार्म-डी)

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, (सामान्य सेवाएं शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषि किया जाता है।

2. श्री/श्रीमति की गोपनीय अभिलेख तथा सेवा पंजी (सेवा पंजी अराज पत्रित सरकारी कर्मचारी की स्थिति में) संलग्न है।

सचिव, हरियाणा सरकार
विभाग।